

कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव (छ0ग0)

क्रमांक/5072/मान्यता/वि.अनुमति/2025-26

कोण्डागांव, दिनांक 29/04/2025

// नवीनीकरण मान्यता आदेश //

छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय डी.के.एस भवन रायपुर के परिपत्र क्रमांक-6 एफ/13-47/20/2021/2/दिनांक 12.04.2010 एवं शिक्षा संहिता के अध्याय-3 नियम 23,33 बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के खण्ड 18 के उद्देश्य के लिये बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून के नियम 11 के उपनियम और अनिवार्य शिक्षा कानून के नियम 11 के उपनियम (4) के तहत विद्यालय के पत्राचार/निरीक्षण उपरांत नीचे दर्शित संस्था को वर्ष 2025-26 से सत्र 2027-28 तक अस्थाई मान्यता/विभागीय अनुमति निम्नांकित शर्तों के तहत दी जाती है :-

क्र.	अशासकीय संस्था का नाम	डाईस कोड	माध्यम	पाठ्यक्रम	कक्षा का नाम जिसके लिए अस्थाई मान्यता/विभागीय अनुमति दी जा रही है।
01	सेंट जेवियर्स स्कूल कोण्डागांव	22172613618	अंग्रेजी	सी.बी.एस.ई पाठ्यक्रम	नर्सरी से 10 वीं

- विद्यालय/प्रबंधन छ.ग. शिक्षा संहिता के मापदण्ड एवं छ.ग. शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश एवं नियमों का अक्षरशः पालन करेंगे।
- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (अनुसूची धारा 19 ओर 25 में दिए गए प्रावधान/मापदण्ड/उपबंधों का पालन अनिवार्यतः करेंगे।
- विद्यालय में समुचित अनुशासन व्यवस्था बनाये रखेंगे तथा आपके संस्था के छात्र या कर्मचारी किसी हड़ताल या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे।
- विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु मूलभूत सुविधाएं स्थान, भवन उपकरण, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, क्रीडांगन, फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक पठन-पाठन सामग्री कक्षा स्तर अनुसार पूर्ति करेंगे। साथ ही अध्यापन हेतु मापदण्डानुसार योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति शिक्षा सत्र प्रारंभ होने के पूर्व करेंगे।
- शाला के अंदर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से सफाई व्यवस्था, पेयजन शौचालय (बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक) आदि की समुचित व्यवस्था करेंगे।
- जाति धर्म या भाषा के आधार पर न तो किसी विद्यार्थी या कर्मचारी के साथ पक्षपात करेंगे और न ही इस आधार पर छात्रों का प्रवेश, अध्यापकों की नियुक्ति करेंगे।
- शासन के मापदण्ड का पालन करते हुए कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे एवं वेतन/मानदेय देंगे। किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति या निष्कासन के पूर्व प्रभावित कर्मचारी का पक्ष सुनेंगे तत्पश्चात् अधोहस्ताक्षरकर्ता से अनुमति प्राप्त करके सेवा से पृथक कर सकेंगे।
- विद्यार्थियों से शैक्षणिक सुविधा के अनुपात में ही, लाभ नही हानि नहीं के आधार पर घोषित शुल्क लेंगे। निरीक्षण हेतु अपनी शाला एवं अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सदैव तैयार रहेंगे। प्रतिवर्ष 31 मार्च की स्थिति में आय एवं व्यय की सी.ए. आडिट प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र की प्रत्येक कंडिका का अक्षरशः पालन करेंगे अन्यथा दी गई मान्यता/नवीनीकरण बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी रद्द कर दी जावेगी।

01/04/25
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला कोण्डागांव (छ.ग.)

कोण्डागांव, दिनांक 29/04/2025

पृ क्रमांक/5073/मान्यता/वि.अनुमति/2025-26

प्रतिलिपि:-

- 1- संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय छ0ग0 रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 2- सचिव, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल छ0ग0 रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 3- कलेक्टर, जिला कोण्डागांव की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 4- संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण बस्तर संभाग जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 5- विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी वि0ख0 को सूचनार्थ।
- 6- संबंधित विद्यालय प्राचार्य/प्रधान पाठक को सूचनार्थ।

01/04/25
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला शिक्षा अधिकारी
जिला कोण्डागांव (छ.ग.)